भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2125

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के तहत पैनलबद्ध अस्पताल

†2125. एडवोकेट प्रिया सरोजः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान देश में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत सरकारी और निजी अस्पताल-वार कितने अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है;

(ख) क्या सरकार के पास उपर्युक्त प्रत्येक अवधि के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या के आकड़े हैं और देश में सक्रियऔर निष्क्रिय, निलंबित या पैनल से हटाए गए अस्पतालों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएम-जेएवाई नेटवर्क से बाहर हुए अस्पतालों की संख्या कितनी और उन्हें निकालने यापैनल से हटाने के संबंध में दर्ज किए गए प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या देश के किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान निजी अस्पतालों के पैनल में गिरावट यास्थिरता दिखाई है; और

(ङ) क्या मंत्रालय ने पैनल में शामिल अस्पतालों में सेवा क्षमता, दावा निपटान दक्षता और लाभार्थी तक पहुँच की कोईराष्ट्रीय समीक्षा की है और यदि हाँ, तो उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार, आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 32,403 से अधिक अस्पताल पैनलबद्ध हैं। विगत पांच वर्षों में एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल
2020-21	9,775	5,981
2021-22	10,921	7,512
2022-23	12,143	9,103
2023-24	15,735	12,018
2024-25	16,338	14,496

एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों की संख्या में प्रगतिशील निरंतर वृद्धि हो रही है। इस योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को पैनलबद्ध करना संपूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार, 1184 अस्पतालों को पैनलबद्ध सूची से हटा दिया गया है और राज्यों/संघ राज्य द्वारा क्षेत्रों द्वारा 411 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दावों की प्रगति की जांच करने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, दावों के निपटान के लिए क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलाप भी किए जाते हैं। एबी-पीएमजेएवाई योजना के तहत, पैनलबद्ध अस्पतालों में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रों को योजना के लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने और उपचार से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए तैनात किया जाता है। । लाभार्थियों को जागरूकता और समग्र सहायता प्रदान करने के लिए इन अस्पतालों में पीएमजेएवाई कियोस्क जो संपर्क का पहला बिंदु हैं, स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी किसी भी सहायता के लिए 24x7 घंटे कार्यशील कॉल सेंटर (14555) पर भी कॉल कर सकते हैं।
